



म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन

M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL
Government of Madhya Pradesh

क्र.

कमांक 487 / म.प्र.न.वि.वि.वि.आयोग / स्थापना / भोपाल

दिनांक 29/03/22

// आदेश //

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 यथासंशोधित 2013 एवं 2016 की धारा 9(ख) में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अंतर्गत गठित निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर आयोग की 173 वीं सभा की बैठक दिनांक 12/02/2022 के एजेण्डा कमांक (173)-5 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम जी.एच.रॉयसोनी विश्वविद्यालय, छिंदवाड़ा के मुख्य परिसर में स्थित शैक्षणिक विभागों कृषि संकाय एवं विधि संकाय के निम्नलिखित तालिका में दर्शित पाठ्यक्रमों को उनके नाम के सम्मुख दर्शित सीट संख्या के अनुसार संचालन करने की अनुमति निम्न शर्तों के अधधीन प्रदान की जाती है।

Faculty of Agricultural Sciences

SrNo	Name of the Course	Ordinance No.	Intake Capacity	Total Duration of the Courses
1	B.Sc. (Hons.) Agriculture	8	480	4 Year
2	Diploma in Agriculture	10	60	2 Year
3	B.Sc. (Hons) Horticulture	56	240	4 Year
4	B.Sc. Sericulture	56	60	4 Year
5	B.Sc. Forestry	56	60	4 Year
6	B. Tech (Agriculture Engineering)	57	60	4 Year
7	M.Sc. (Ag) Agronomy	26	10	2 Year
8	M.Sc. (Ag) Plant Pathology	26	10	2 Year
9	M.Sc. (Ag) GPB	26	10	2 Year
10	M.Sc. (Ag) Extension	26	10	2 Year
11	M.Sc. (Hort.) Fruit Sci.	26	10	2 Year
12	M.Sc. (Ag.) Entomology	26	10	2 Year
13	M.Sc. (Ag.) Soil Science & Agri. Chemistry	26	10	2 Year
14	M.Sc. (Ag.) Horticulture Vegetable Science	26	10	2 Year

Faculty of Law

SrNo	Name of the Course	Ordinance No.	Intake Capacity	Total Duration of the Courses
1.	B.A.LL.B.	31	120	5 Year
2.	BBA.LL.B.	31	120	5 Year
3.	B.Com.LL.B.	31	120	5 Year
4.	B.Sc.LL.B.	67	120	5 Year
5.	LLM (Constitutional Law)	68	20	1 Year (Tri. Semester)
6.	LLM (International Law)	68	20	1 Year (Tri. Semester)
7.	LLM (Criminal Law)	68	20	1 Year (Tri. Semester)
8.	LLM (Business Law)	68	20	1 Year (Tri. Semester)
9.	LLM (Alternative Dispute Resolution)	68	20	1 Year (Tri. Semester)
10.	LLM (Intellectual Property Rights)	68	20	1 Year (Tri. Semester)

शर्त :-

- उपरोक्त पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु यू.जी.सी., बार काउंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली एवं आईसीएआर के मापपदों के अनुसार अनिवार्य रूप से अनुमति प्राप्त होने की शर्त पर उपरोक्त पाठ्यक्रमों को संचालित करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

G. H. RAISONI UNIVERSITY, SAIKHEDA

Registrar Office


Inward No. 325/03/22

निरंतर 2

(2)

- उपरोक्त पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु यू.जी.सी., बार काउंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली एवं आईसीएआर के मापदण्डों के अनुसार शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति सुनिश्चित की जाना अनिवार्य होगा।
- उपरोक्त पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों के प्रवेश संबंधित विनियामक परिषदों की गाईडलाईन के अनुसार दिये जायेंगे।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित की गई गाईडलाईन / मापदण्डों का पालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।
- विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन एवं म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग के द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली से निरीक्षण कराना अनिवार्य होगा तथा नेक प्रत्यायन एवं मूल्यांकन अनिवार्यतः कराना होगा।
- व्यवसायिक पाठ्यक्रमों हेतु मानक एजेंसियों से ग्रेडिंग/मूल्यांकन आवश्यक रूप से प्राप्त करना होगा तथा पाठ्यक्रमों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु रैंकिंग संस्था / एजेंसियों के मापदण्डों की पूर्ति करना होगा।
- यू.जी.सी. के प्रावधानानुसार पाठ्यक्रमों में प्रवेशित विद्यार्थियों का डिप्लोमा, डिग्री एवं अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का डिजिटल रिकार्ड (एन.ए.डी.) संधारित करना होगा।
- पाठ्यक्रमों के संचालन में किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर एवं निरीक्षण के दौरान किसी प्रकार की गंभीर न्यूनता पाये जाने पर नियमानुसार अनुमति निरस्त की जावेगी।


(मा. अध्यक्ष महो. द्वारा अनुमोदित)


29/3/2022
(डॉ. के.पी. साहू)
सचिव

म0प्र0नि0वि0वि0आयोग, भोपाल
दिनांक /03/2022

पृष्ठांकन...../ म0प्र0नि0वि0वि0आयोग/स्थापना/ भोपाल
प्रतिलिपि—

1. कुलसचिव, जी.एच. रॉयसोनी विश्वविद्यालय, छिंदवाड़ा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. अध्यक्ष, म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग की ओर सूचनार्थ।
3. प्रभारी आई.टी. प्रकोष्ठ, म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग की ओर सूचनार्थ।
4. प्रभारी छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ, म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग की ओर सूचनार्थ।
5. प्रभारी शुल्क नियतन प्रकोष्ठ, म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग की ओर सूचनार्थ।
6. मूल नरती।


सचिव
म0प्र0नि0वि0वि0आयोग, भोपाल